मेसर्स नीरजा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

जांगलू (मृत), कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा

29 जनवरी, 2018

[मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्तिगण ए 0 एम 0 खानविलकर और डॉ0 डी0 वाई 0 चंद्रचूड़]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

आदेश V, नियम 17 और 20 – प्रतिस्थापित सेवा के लिए आवेदन – अनुमति दी गई – प्रकाशन द्वारा प्रतिस्थापित सेवा के बाद, एकपक्षीय डिक्री – सि.प्र.सं. की धारा 96 के तहत अपील – उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई –अपील पर, निर्णय : वर्तमान मामले में आदेश V, नियम 17 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ था – प्रतिस्थापित सेवा, सेवा के सामान्य प्रणाली का अपवाद है – आदेश V, नियम 20 में न्यायालय को संतुष्ट होने की आवश्यकता है कि या तो यह मानने का कारण है कि प्रतिवादी सेवा से बचने के उद्देश्य से दूर रहा है या किसी अन्य कारण से, समन को सामान्य तरीके से तामील नहीं किया जा सकता है – विचारण न्यायालय आदेश V, नियम 20 की आवश्यकताओं पर विचार करने में विफल रहा और एक यांत्रिक आदेश पारित किया – विचारण न्यायालय ने सिविल निर्देशिका के अध्याय 3 में निहित प्रावधानों को भी नजरअंदाज कर दिया – बंबई उच्च न्यायालय द्वारा जारी सिविल निर्देशिका – अध्याय II – पैराग्राफ 33 से 36.

डिक्री:

एकपक्षीय डिक्री – इसके खिलाफ उपाय – एकपक्षीय डिक्री के खिलाफ उपाय या तो धारा 96 सि.प्र.सं. के तहत अपील है या आदेश IX, नियम 13 सि.प्र.सं. के तहत एक आवेदन या दोनों कार्यवाही एक साथ है – आदेश IX, नियम 13 के तहत आवेदन दायर करके अपील का अधिकार नहीं छीना जाता है – लेकिन अगर अपील खारिज कर दी जाती है, तो आदेश IX, नियम 13 के तहत आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है – जब आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो उपाय आदेश XLII, नियम 1 के तहत

निहित है – हालांकि एक बार आदेश XLIIL के तहत अपील खारिज हो जाने के बाद, नियम 1 को धारा 96 के तहत अपील में नहीं उठाया जा सकता है – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – धारा 96, आदेश IX, नियम 13 और आदेश XLII, नियम 1.

अपील खारिज करते हुए न्यायालय का

निर्णय : 1.1 न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड से पता चलता है कि विचारण न्यायालय ने 9 फरवरी 2011 के अपने आदेश द्वारा मूल प्रतिवादी को समन जारी करने का निर्देश दिया, जिसे 15 मार्च 2011 को वापस किया जा सकता है। आदेश के अनुपालन में 4 मार्च 2011 को समन जारी किया गया। 11 अप्रैल 2011 की जमानती की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि समन बिना तामील किए लौटा दिए गए थे और जमानतदार को सूचित किया गया था कि मूल प्रतिवादी ने लगभग दो साल पहले परिसर छोड़ दिया था और कहीं और रहता था। जमानतदार की रिपोर्ट से यह संकेत नहीं मिलता है कि समन में उल्लिखित पते पर घर के एक विशिष्ट हिस्से पर समन चिपकाया गया था। आदेश V नियम 17 सि.प्र.सं. के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। जब आदेश वी नियम 20 सि.प्र.सं. के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिस्थापित सेवा के लिए आवेदन दायर किया गया था, तो 2 सितंबर 2011 को एक गूढ़ आदेश पारित किया गया था। आदेश V नियम 20 में अदालत को संतुष्ट होने की आवश्यकता है कि या तो यह मानने का कारण है कि प्रतिवादी सेवा से बचने के उद्देश्य से रास्ते से बाहर है या किसी अन्य कारण से, समन को साधारण तरीके से तामील नहीं किया जा सकता है। प्रतिस्थापित सेवा सेवा के सामान्य प्रणाली का अपवाद है। न्यायालय को आदेश V नियम 20 की आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए और उसके आदेश में निहित प्रावधानों पर उचित विचार का संकेत होना चाहिए। जाहिर है कि विचारण न्यायालय आदेश V नियम 20 की आवश्यकताओं पर विचार करने में विफल रहा और एक यांत्रिक आदेश पारित किया। इसके अलावा, विचारण न्यायाधीश ने सिविल अदालतों और उसके अधीनस्थ अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय पक्ष पर जारी सिविल निर्देशिका के अध्याय III में निहित प्रावधानों की अनदेखी की। [पैरा 14,15] [364–डी; 365–ए–डी]

1.2 आदेश V नियम 17 में निर्धारित प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन हुआ था, यहां तक कि इसके पूर्ववर्ती भी। इसके अलावा, न्यायालय का आदेश प्रावधान में निर्धारित संतुष्टि की आवश्यकता के प्रति उचित विचार का संकेत नहीं देता है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उचित था कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में एकपक्षी निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। [पैरा 15] [366– डी–ई]

2. एक प्रतिवादी जिसके खिलाफ एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है, उसके पास दो विकल्प होते हैं: पहला अपील दायर करना। दूसरा, आदेश IX नियम 13 सि.प्र.सं. के तहत एक आवेदन दायर करना है। प्रतिवादी एक साथ दोनों कार्यवाही का सहारा ले सकता है। आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन दायर करके अपील का अधिकार नहीं छीना जाता है। लेकिन अगर अपील को खारिज कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एकपक्षीय डिक्री अपीलीय न्यायालय के आदेश के साथ विलय हो जाती है, तो आदेश IX नियम 13 के तहत एक याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। जब आदेश IX नियम 13 के तहत एक आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो प्रतिवादी का उपाय आदेश XLII नियम 1 के तहत होता है। हालांकि, एक बार जब ऐसी अपील खारिज हो जाती है, तो धारा 96 के तहत पहली अपील में उसी विवाद को नहीं उठाया जा सकता है। [पैरा 16] [366–जी–एच; 367–बी]

भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार [2004] 6 Suppl. एससीआर 1104: (2005) 1 एससीसी 787; *रबींद्र सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त, सहकारिता, पंजाब* [2008] 8 एससीआर 813: (2008) 7 एससीसी 663; *महेश यादव बनाम राजेश्वर सिंह* [2008] 17 एससीआर 726: (2009) 2 एससीसी 205 – **पर भरोसा किया।**

संदर्भित न्याय विधियाँ

[2004] 6 Suppl. एससीआर 1104 पर भरोसा किया पैरा 16

[2008] 8 एस सी आर 813 पर भरोसा किया पैरा 16

[2008] 17 एस सी आर 726 पर भरोसा किया पैरा 16

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 71 वर्ष 2018.

एफए संख्या 928 वर्ष 2014 में बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर के दिनांक 07.07.2015 के निर्णय और आदेश से।

कुमार शशांक, सुश्री रुखमिनी बोबडे, विशाल प्रसाद, अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया, द्वारा–

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति. 1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. वर्तमान अपील बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के एकल न्यायाधीश के निर्णय से है। पहली अपील की अनुमति देते हुए, उच्च न्यायालय ने नागपुर में सिविल न्यायधीश (सीनियर डिवीजन) के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया, जिसने अपीलकर्ता द्वारा स्थापित विशिष्ट अनुपालन के लिए एक पक्षीय वाद दायर किया था।

3. विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद की विषय वस्तु 15 जुलाई 2006 को अपीलकर्ता द्वारा मूल प्रतिवादी के साथ मौजा–सोंडापार, तहसील हिंगना, जिला नागपुर में स्थित 1.66 हेक्टेयर (4.07 एकड़) कृषि भूमि के संबंध में किया गया एक समझौता है। समझौते के तहत देय कुल राशि 13,04,391 रुपये थी, जिसमें से 3,26,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाना दर्ज किया गया था। शेष 9,78,391 रुपये का भुगतान बिक्री विलेख के निष्पादन के समय किया जाना था।

4. 30 जून 2007 को, शोभा, जो मूल प्रतिवादी की पुत्री है, ने अपने पिता और अपीलकर्ता के खिलाफ विभाजन, कब्जे और भूमि के संबंध में राहत की घोषणा के लिए एक वाद (पूर्व नियमित वाद संख्या 726/2007 जिसे नियमित वाद संख्या 269/2008 के रूप में फिर से संख्या दिया गया था) दायर किया। उस मुकदमे में वादी ने दावा किया कि उसके पिता को गंभीर वित्तीय आवश्यकता थी और उसने अपीलकर्ता से ऋण प्राप्त किया था और सुरक्षा के रूप में, अपीलकर्ता ने कुछ दस्तावेजों को निष्पादित किया। वादी के अनुसार, समझौते को धोखाधड़ी और गलत बयानी से दूषित किया गया था और भूमि पैतृक संपत्ति होने के नाते, समझौता उसके लिए बाध्यकारी नहीं था। मूल प्रतिवादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ('सि.प्र.सं.') के आदेश VIII नियम 11 के तहत एक कार्यवाही में उपस्थिति दर्ज की और अपने आवासीय पते का खुलासा किया। अपीलकर्ता ने अपना लिखित बयान भी दर्ज किया। वाद 8 जुलाई 2010 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि भूमि मूल प्रतिवादी की थी और वादी के पास कोई अधिकार, शीर्षक और हित नहीं था।

5. 5 फरवरी 2011 को, अपीलकर्ता ने 15 जुलाई 2006 को बेचने के लिए समझौते के विनिर्दिष्ट पालन (वाद 184 वर्ष 2011) के लिए वाद दायर किया। 9 फरवरी 2011 को, विचारण न्यायालय ने मुद्दों के निपटारे के लिए मूल प्रतिवादी को नोटिस जारी किया। ऐसा प्रतीत होता है कि मूल प्रतिवादी को दो बार समन जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें वापस कर दिया गया। 11 अप्रैल 2011 को, जमानतदार ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया था कि जब वह प्रतिवादी को तामील करने गया, तो उसे गांव में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा

सूचित किया गया कि उसने दो साल पहले परिसर छोड़ दिया था और कहीं और रह रहा था। समन वापस कर दिए गए क्योंकि प्रतिवादी उसमें दिए गए पते पर नहीं रह रहा था।

6. अपीलकर्ता ने 2 सितंबर 2011 को सि.प्र.सं. के आदेश V नियम 20 (1–ए) के तहत प्रतिस्थापित सेवा के लिए आवेदन दायर किया। विचारण न्यायालय ने उसी दिन निम्नलिखित आदेश के संदर्भ में आवेदन की अनुमति दी:

"सि.प्र.सं. के आदेश 5 नियम 29 (1–ए) के तहत वादी के खर्च पर प्रतिवादी को समन जारी किया जाय |"

7. अपीलकर्ता का दावा है कि उसने मराठी दैनिक लोकमत में प्रकाशन के माध्यम से प्रतिस्थापित सेवा को प्रभावित किया है। 29 नवंबर 2011 को, विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"दिनांक 04–10–2011 को दैनिक समाचार पत्र लोकमत में सार्वजनिक सूचना द्वारा प्रतिवादी को तामील की गई लेकिन वह अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी के खिलाफ वाद एकतरफा आगे बढ़ा। प्रतिवादी के विरुद्ध वाद एकपक्षीय तरीके से आगे बढ़ा।

8. वाद 13 जून 2014 को डिक्री किया गया था और अपीलकर्ता को एक महीने के भीतर 9,78,391 रुपये की शेष राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था।

9. अपीलकर्ता का दावा है कि उसने 17 जुलाई 2014 को राशि जमा कर दी है।

10. 12 सितंबर 2014 को, मूल प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष सि.प्र.सं. की धारा 96 के तहत पहली अपील दायर की। 21 अगस्त 2015 को उनका निधन हो गया। अपीलकर्ता ने अपने कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेखों पर लाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन को अंततः 23 सितंबर 2016 को अनुमति दी गई थी।

11. उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई 2015 के अपने फैसले में कहा कि न तो जमानतदार की रिपोर्ट और न ही विचारण न्यायालय के आदेश से संकेत मिलता है कि समन की एक प्रति अदालत के घर और उस घर में एक विशिष्ट स्थान पर चिपकाई गई थी जहां प्रतिवादी को आखिरी बार निवास करने के लिए जाना जाता था। उच्च न्यायालय ने कहा कि सि.प्र.सं. के आदेश V नियम 20 (1) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। उच्च न्यायालय ने

कहा कि प्रतिस्थापित सेवा की अनुमति देने वाला विचारण न्यायालय का आदेश गूढ़ था और अदालत ने अपनी संतुष्टि दर्ज नहीं की थी कि प्रतिवादी सेवा से बचने के रास्ते से बाहर था या किसी अन्य कारण से समन को सामान्य तरीके से तामील नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, सेवारत अधिकारी ने आदेश V नियम 17 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, जहां प्रतिवादी को उस स्थान पर निवास करने के लिए नहीं पाया गया था जहां वह आखिरी बार रह रहा था। अदालत ने कहा कि जमानती के माध्यम से प्रभावी होने वाली सेवा के अलावा, प्रतिवादी को पंजीकृत डाक द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत पते पर समन नहीं भेजा गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि विचारण न्यायाधीश ने सिविल अदालतों और उसके अधीनस्थ अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए अपीलीय पक्ष पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी सिविल निर्देशिका के अध्याय III के प्रावधानों की अनदेखी की थी।

12. अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने आदेश V नियम 20 के प्रावधानों का गलत अर्थ लगाया है। अपीलकर्ता के अनुसार, आदेश वी नियम 20 या तो प्रतिवादी के घर पर नोटिस चिपकाने के साथ–साथ अदालत परिसर में नोटिस चिपकाने या समाचार पत्र में प्रकाशन सहित किसी अन्य प्रणाली से लगाने की अनुमति देता है। वर्तमान मामले में, 4 अक्टूबर 2011 को समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा मूल प्रतिवादी को समन की सेवा की गई थी। इसलिए, यह आग्रह किया गया था कि अदालत परिसर और मूल प्रतिवादी के घर पर समन चिपकाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया था कि विचारण न्यायालय का आदेश गूढ़ नहीं था और जमानतदार की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि मूल प्रतिवादी अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पते पर नहीं रह रहा था, जिसके कारण समन वापस कर दिया गया था।

13. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से विद्वान वकील ने आग्रह किया कि पहली अपील में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष रिकॉर्ड से उत्पन्न होते हैं और कानून के अनुसार होते हैं। इसलिए वर्तमान कार्यवाही में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड से पता चलता है कि विचारण न्यायालय ने 9 फरवरी 2011 के अपने आदेश द्वारा मूल प्रतिवादी को समन जारी करने का निर्देश दिया, जिसे 15 मार्च 2011 को वापस किया जा सकता है। आदेश के अनुपालन में 4 मार्च 2011 को समन जारी किया गया। 11 अप्रैल 2011 की जमानती की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि समन बिना तामील किए लौटा दिए गए थे और जमानतदार को सूचित किया गया था कि मूल प्रतिवादी ने लगभग दो साल पहले परिसर छोड़ दिया था और कहीं और रहता था।

15. आदेश V नियम 17 निम्नानुसार प्रदान करता है:

"17. प्रक्रिया जब प्रतिवादी तामील स्वीकार करने से इनकार करता है, या पाया नहीं जा सकता है– जहां प्रतिवादी या उसका एजेंट या ऐसा अन्य व्यक्ति जैसा कि पूर्वोक्त है, पावती पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, या जहां सेवारत अधिकारी, सभी उचित और उचित परिश्रम का उपयोग करने के बाद, प्रतिवादी को नहीं ढूंढ सकता है, जो उस समय अपने निवास से अनुपस्थित है जब उसके निवास पर सेवा प्रभावी होने की मांग की जाती है और उसके पाए जाने की कोई संभावना नहीं है। उचित समय के भीतर निवास पर और उसकी ओर से समन की सेवा स्वीकार करने के लिए कोई एजेंट अधिकृत नहीं है, न ही कोई अन्य व्यक्ति जिस पर सेवा की जा सकती है, सेवारत अधिकारी बाहरी दरवाजे या घर के किसी अन्य विशिष्ट हिस्से पर समन की एक प्रति चिपकाएगा, जिसमें प्रतिवादी आमतौर पर रहता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है। और फिर मूल को उस अदालत को वापस कर देगा जहां से इसे जारी किया गया था, उस पर एक रिपोर्ट का समर्थन किया गया था या उसमें संलग्न किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसने प्रति चिपका दी है, जिन परिस्थितियों में उसने ऐसा किया, और उस व्यक्ति का नाम और पता (यदि कोई हो) जिसके द्वारा घर की पहचान की गई थी और 'जिसकी उपस्थिति में प्रति चिपकाई गई थी।

जाहिर है, जैसा कि जमानतदार की रिपोर्ट से संकेत मिलता है, वह प्रतिवादी को उस पते पर खोजने में असमर्थ था जो समन में उल्लिखित था। जमानतदार की रिपोर्ट से यह संकेत नहीं मिलता है कि समन में उल्लिखित पते पर घर के एक विशिष्ट हिस्से पर समन चिपकाया गया था। आदेश V नियम 17 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था। जब आदेश V नियम 20 के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिस्थापित सेवा के लिए आवेदन दायर किया गया था, तो 2 सितंबर 2011 को एक गूढ़ आदेश पारित किया गया था। आदेश V नियम 20 में अदालत को संतुष्ट होने की आवश्यकता है कि या तो यह मानने का कारण है कि प्रतिवादी सेवा से बचने के उद्देश्य से रास्ते से बाहर है या किसी अन्य कारण से, समन को साधारण तरीके से तामील नहीं किया जा सकता है। प्रतिस्थापित सेवा सेवा के सामान्य प्रणाली का अपवाद है। न्यायालय को आदेश V नियम 20 की आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए और उसके आदेश में निहित प्रावधानों पर उचित विचार का संकेत होना चाहिए। जाहिर है कि विचारण न्यायालय आदेश V नियम 20 की आवश्यकताओं पर अपना दिमाग लगाने में विफल रहा और एक यांत्रिक आदेश पारित किया। इसके अलावा, जैसा कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा देखा गया है, विचारण न्यायाधीश ने सिविल अदालतों और उसके अधीनस्थ अधिकारियों के

मार्गदर्शन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय पक्ष पर जारी सिविल निर्देशिका के अध्याय III में निहित प्रावधानों की अनदेखी की। अध्याय III के अनुच्छेद 33 से 36 नीचे दिए गए हैं:

"33. जमानती के माध्यम से प्रभावी की जाने वाली सेवा के अलावा, प्रतिवादी को वादी द्वारा दिए गए पते पर, पंजीकृत डाक द्वारा, पावती के लिए प्रीपेड पर एक समन भी भेजा जा सकता है, बशर्ते कि उस स्थान पर नियमित दैनिक डाक सेवा हो।

34. समन की तामील से संबंधित नियम आदेश V के नियम 9 से 30 में निहित हैं. यह देखने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि जमानतदार उन नियमों के साथ–साथ जमानतदार निर्देशिका में दिए गए निर्देशों का पालन करें.

35. सेवारत अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रक्रिया का पालन करे और आदेश V के नियम 17 में निर्धारित सभी कदम उठाए। उसके पास आवश्यक कदम नहीं उठाने का कोई विवेकाधिकार नहीं है, जब उक्त नियम में निर्धारित शर्तें पूरी हो जाती हैं।

36. यह निर्धारित करना न्यायालय का काय है कि तामील अच्छी है या बुरी। यह निर्धारित करने में कि तामील अच्छी है या नहीं, न्यायालयों का ध्यान प्रक्रियाओं की सेवा के रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया जाता है। आमतौर पर, सेवा को तब तक पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि उस संबंध में कानून की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है। सेवा का उद्देश्य नियत समय में कार्यवाही के बारे में एक पार्टी को सूचित करना है। जब किसी सेवारत अधिकारी की वापसी से ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कोई प्रक्रिया नियत समय में पक्ष के संज्ञान में आएगी, या एक संभावना मौजूद है कि यह उसके संज्ञान में नहीं आएगी, तो तामील को उचित नहीं माना जाना चाहिए। कानून में कहा गया है कि तामील का प्राथमिक तरीका व्यक्तिगत रूप से पक्ष को प्रक्रिया की एक प्रति देना या वितरित करना होना चाहिए, यदि ऐसा करना व्यावहारिक हो सकता है। सेवारत अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत सेवा को प्रभावित करने की दृष्टि से पक्ष को खोजने के लिए सभी उचित प्रयास करे। यदि पक्ष को खोजने के लिए उचित प्रयास के बाद यह संभव नहीं है, तो केवल उसके साथ रहने वाले परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य पर सेवा की जा सकती है।''

यह दलील कि आदेश V नियम 20 के तहत अदालत द्वारा अखबार में प्रकाशन का निर्देश दिए जाने के बाद समन की एक प्रति अदालत के घर और उस घर में लगाना जरूरी नहीं है, जहां प्रतिवादी आखिरी बार रहा था। आदेश V नियम 17 में निर्धारित प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन था, यहां तक कि इसके पूर्ववर्ती भी। इसके अलावा, न्यायालय का आदेश प्रावधान में निर्धारित संतुष्टि की आवश्यकता के प्रति उचित विचार का संकेत नहीं देता है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उचित था कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में एकतरफा निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

16. भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि:

> "संहिता की धारा 96 (2) के संदर्भ में एकपक्षीय डिक्री के खिलाफ अपील निम्नलिखित आधारों पर दायर की जा सकती है:
>
> (i) वादी द्वारा मुकदमे में एकपक्षीय कार्यवाही में रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री में उसके पक्ष में डिक्री शामिल नहीं होगी; और
>
> (ii) मुकदमे को एकपक्षीय सुनवाई के लिए रखा नहीं किया जा सकता था।

एक प्रतिवादी जिसके खिलाफ एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है, उसके पास दो विकल्प होते हैं: पहला अपील दायर करना। दूसरा आदेश IX नियम 13 के तहत एक आवेदन दायर करना है। प्रतिवादी एक साथ दोनों कार्यवाही का सहारा ले सकता है। आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन दायर करके अपील का अधिकार नहीं छीना जाता है। लेकिन अगर अपील को खारिज कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एकपक्षीय डिक्री अपीलीय न्यायालय के आदेश के साथ विलय हो जाती है, तो आदेश IX नियम 13 के तहत एक याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। जब आदेश IX नियम 13 के तहत एक आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो प्रतिवादी का उपाय आदेश XLII नियम 1 के तहत होता है। हालांकि, एक बार जब ऐसी अपील खारिज हो जाती है, तो धारा 96 के तहत पहली अपील में उसी विवाद को नहीं उठाया जा सकता है। भानु कुमार जैन मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद रबींद्र सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त, सहकारिता, पंजाब और दो न्यायाधीशों की पीठ ने महेश यादव बनाम राजेश्वर सिंह मामले में फैसला सुनाया। वर्तमान मामले में, मूल प्रतिवादी ने धारा

96 के तहत पहली अपील का उपाय चुना और उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय और डिक्री को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार स्थापित करने में सक्षम था।

17. उपरोक्त कारणों से, हमें उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील खारिज।

(2008) 7 SCC 663 32009) 2 SCC 205

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated and verified by me.

Satyendra Yadav
Advocate
Advocate on Roll : **A/S**0567/2023
Contact No. : 8896551733